भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1740
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

भारतनेट चरण-।। के अंतर्गत बुनियादी ढांचा

1740. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट चरण-।। के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए, कुल कितनी ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है;

(ख) राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए, उन ग्राम पंचायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहाँ ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है और ब्रॉडबैंड सेवाएँ चालू हैं;

(ग) क्या ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) और वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रावधान सहित लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष-वार, जिलावार प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) विगत पाँच वर्षों के दौरान, आज तक आंध्र प्रदेश राज्य फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) को वर्ष-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) देश की सभी 2.6 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट स्कीम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट चरण-II के अंतर्गत, कुल 1,02,133 जीपी के लिए योजना बनाई गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश की 11,274 जीपी शामिल हैं। 30.06.2025 तक, चरण-II के अंतर्गत 94,146 जीपी को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश की सभी 11,274 जीपी शामिल हैं। राज्य में चरण-II के कार्यान्वयन के लिए 13.11.2017 को राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतनेट चरण-II के अंतर्गत देश में ग्राम पंचायतों (जीपी) का राज्य-वार विवरण और आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों (जीपी) का जिला-वार विवरण डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट (https://usof.gov.in/home) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस कार्यालय को आंध्र प्रदेश राज्य से ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) के प्रावधान के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। हालाँकि, भारतनेट चरण-II के लिए राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत सीपीई मॉडेम के वित्तपोषण का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) सुनिश्चित करने के लिए फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ड.) 30.06.2025 तक, भारतनेट चरण-II परियोजना के अंतर्गत बीबीएनएल द्वारा एपीएसएफएल को कुल 1,289.19 करोड़ रुपये आवंटित/जारी/उपयोग किए गए हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान एपीएसएफएल को आवंटित/जारी की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**एपीएसएफएल को आवंटित/जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)**
2020-21	0
2021-22	100
2022-23	597.88
2023-24	265.54
2024-25	98.65
कुल	**1062.07**

***